गोपनीय/महत्वपूर्ण

सं0 1585/चौवालिस-1/1987

प्रेषक,

श्रीमती नीरा यादव,
सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

राज्य के समस्त उद्यमों के प्रबन्ध निदेशक/
मुख्य कार्यकारी।

लखनऊ : दिनांक 27 अगस्त, 1987

विषय :- सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में कार्यरत लोक सेवकों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान शासन के सतर्कता विभाग के नियंत्रण में कार्य करता है। उक्त अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत प्रसारित आदेश दिनांक 29 अगस्त, 1977 के प्राविधानों के अनुसार सतर्कता अधिष्ठान का यह कर्तव्य है कि लोक सेवकों से संबंधित भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार और अन्य कदाचार के ऐसे समस्त मामलों की सूचना, जो उसकी जानकारी में आये सरकार को दे तथा किसी लोकसेवक या किसी विभाग, वर्ग या श्रेणी के लोक सेवकों की भ्रष्टाचार से संबंधित अभिसूचना को अपनी पहल से या सतर्कता विभाग के आदेश पर संग्रह कर तथा भ्रष्टाचार,

घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार या अन्य कदाचार के मामले में जो उसे सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किये जायें, गुप्त या खुली जांच और अनुसंधान करे। सतर्कता अधिष्ठान के उपरोक्त कृत्यों के सम्पादन के संबंध में यह अनुभव किया गया है कि सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में कार्यरत लोक सेवकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाय। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा-2। के खण्ड-।2 के अनुसार किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या अन्तर्गत स्थापित किसी निगम या कम्पनी, अधिनियम की धारा-6।7 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी की सेवा में कार्यरत या उनसे वेतन पाने वाला प्रत्येक व्यक्ति लोक सेवक है। इस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में सेवारत व्यक्ति भी लोक सेवक होने के नाते सतर्कता अधिष्ठान के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्वतः आते हैं। उनके सम्बन्ध में भी सतर्कता अधिष्ठान को कार्यवाही करने का विधिक अधिकार प्राप्त है और सतर्कता अधिष्ठान द्वारा उनके विरुद्ध भी समय-समय पर कार्यवाही की जाती रही है। सम्पूर्ण प्रकरण पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् शासन ने सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :-

(।) किसी कर्मचारी के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान से खुली जांच कराने के लिये सतर्कता विभाग के आदेशों की सूचना संबंधित उद्यम/निगम को उनके प्रशासकीय विभाग के माध्यम से दी जायेगी। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर संबंधित उद्यम/निगम द्वारा उक्त जांच के आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखी जायेगी और सतर्कता अधिष्ठान के जांच अधिकारी को ऐसे सभी अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे जो कि उस जांच से संबंधित हो। इसके अतिरिक्त संबंधित उद्यम/निगम द्वारा अनुसंधानकर्ता को जांच में ऐसी अन्य सहायता दी जायेगी जो वांछित हो। यदि सतर्कता विभाग किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण आदि की संस्तुति की जाती है तो संबंधित उद्यम/निगम द्वारा तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(2) यदि किसी सार्वजनिक उद्यम/निगम द्वारा अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराने की आवश्यकता समझी जाय तो ऐसे मामले में प्रारम्भिक छान-बीन करने के पश्चात् उस मामले को, पूर्ण विवरण के साथ, शासन के प्रशासनिक विभाग को भेजा जायेगा। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच के लिये केवल ऐसे मामलों के ही प्रस्ताव शासन को भेजे जाने चाहिये जिनमें विभागीय तौर पर प्रारम्भिक जांच हो चुकी हो, और विशिष्ट एजेन्सी द्वारा जांच का औचित्य हो अथवा विभागीय जांच संभव न हो एवं मामला महत्वपूर्ण हो।

(3) जांच के दौरान किसी भी मामले में जांच की प्रगति की जानकारी सार्वजनिक उद्यमों/निगमों द्वारा सीधे सतर्कता अधिष्ठान से नहीं की जायेगी। बल्कि जांच की प्रगति की सूचना उनके प्रशासकीय विभाग द्वारा सतर्कता विभाग से प्राप्त की जायेगी। यह उल्लेखनीय है कि जिन आरोपों पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की जा रही हो उन्हीं आरोपों पर विभागीय जांच तब तक नहीं की जानी चाहिये जब तक कि सतर्कता अधिष्ठान की अन्तिम आख्या पर सतर्कता विभाग के निर्णय की सूचना संबंधित उद्यम/निगम को उपलब्ध न करा दी जाय।

(4) सतर्कता अधिष्ठान की जांच आख्या प्राप्त होने पर सतर्कता विभाग द्वारा दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन किये जाने का

विनिश्चय किया जा सकता है । लोक सेवक के अभियोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी की अर्थात् वह अधिकारी जो संबंधित कर्मचारी को उसके पद से हटाने को सक्षम हो, स्वीकृति धारा छः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत आवश्यक होती है । यदि सतर्कता विभाग द्वारा किसी सार्वजनिक उद्यम/निगम के किसी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोजन का विनिश्चय किया जाता है तो शासन से इसकी सूचना प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की पूर्व स्वीकृति, मामले का पूर्ण परीक्षण करके, विधि के अनुसार दिये जाने पर शीघ्र यथा सम्भव एक माह के अन्दर विचार किया जाना चाहिये । यदि किसी कारणवश सक्षम प्राधिकारी अभियोजन की पूर्व स्वीकृति देना उचित नहीं समझते तो वह उसके लिये समुचित कारण दर्शाते हुये शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग को पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

(5) सतर्कता अधिष्ठान की जांच आख्या प्राप्त होने पर सतर्कता विभाग द्वारा दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का भी विनिश्चय किया जा सकता है । सतर्कता जांच में किसी कर्मचारी के दुराचरण (मिसकन्डक्ट) आदि के लिये दोषी पाये जाने की दशा में संबंधित उद्यम/निगम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ करने पर विचार किया जाय तथा युक्तिसंगत अवधि में विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय एवं उसकी सूचना शासन के प्रशासकीय विभाग को दी जानी चाहिये ताकि संबंधित मामलों का यथाविधि निपटारा हो जाये और वे निरर्थक लम्बित न रहे ।

उल्लेखनीय होगा कि सतर्कता जांच की रिपोर्ट गोपनीय अभिलेख हैं जिसे अपचारी लोक सेवक की जानकारी में लाना उचित नहीं है ।

2- उद्यमों/निगमों द्वारा इस संबंध में कार्यवाही करते समय मुख्य रूप से उसके दूरगामी प्रभाव/परिणाम पर दृष्टि रखना आवश्यक है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बल न मिले तथा भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति न हो ।

भवदीया,
नीरा यादव,
सचिव।

सं0-1585(1)/चौवालिस-1/1987, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :-

(1) सचिव, सतर्कता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ कि वह कृपया सतर्कता विभाग के माध्यम से भी सतर्कता अधिष्ठान को यह आदेश प्रसारित करा दें ।

(2) प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-शासन के अन्य समस्त सचिव/विशेष सचिव ।
2-सतर्कता अनुभाग 1, 2, 3 व 4
3-महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तर प्रदेश ।
4-निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,
नीरा यादव,
सचिव।